दावा प्रकरण क्र.–61/2025 मीठूराम कश्यप विरूद्ध भूपेन्द्र कुमार साहू व अन्य

गवाह नंबर 01 आवेदक साक्षी मीठूराम कश्यप पिता–समडुराम कश्यप, उम्र 25 वर्ष

टीपः– साक्षी का मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश है । साक्षी को आज दिनांक 07/01/2026 को शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विजय साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.–1 एवं 2

07– यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरी लापरवाही के कारण हुयी है । यह कहना गलत है कि मुझे मोटर सायकल चलाना नहीं आता है ।

08– यह कहना सही है कि मेरे पास मोटर सायकल चलाने का लाईसेंस नहीं है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अपने ईलाज के संबंध में झूठा बिल प्रस्तुत किया हूं ।

09– यह कहना गलत है कि मुझे शासन से ईलाज से समस्त खर्चों का भुगतान हो गया है । यह कहना गलत है कि मैंने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठे आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विजय के.पी. गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.–3

10– यह कहना गलत है कि मुझे जो चोटें आयी है वह दिनांक 07.12.2024 को कोई दुर्घटना के कारण नहीं आयी है ।

11– यह कहना गलत है कि मेरे पास मोटर सायकल चलाने का लाईसेंस नहीं होने से मैं मोटर सायकल को चलाना नहीं जानता हूं । यह कहना गलत है कि मैं स्वयं ही अपने मोटर सायकल से फिसल कर गिर गया था, जिस कारण से मुझे एवं गोयंदु मंडावी को चोटें आयी थी ।

12– यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना दिनांक 07.12.2024 को शासकीय सेवक था । दुर्घटना के समय मेरी तनख्वाह 41,500/– रूपये मासिक थी । मुझे पिछले माह 43,000/– रूपये तनख्वाह मिली है ।

13– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मेरे ईलाज में हुए खर्च रूपये 6,70,840/– रूपये का समस्त बिल प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया हूं । स्वतः कहा कि कुछ बिल गुम हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया हूं ।

14– यह कहना सही है कि शासकीय सेवक को सेवा के दौरान होने वाले चिकित्सकीय व्यय की प्रतिपूर्ति उस विभाग के द्वारा की जाती है । स्वतः कहा कि मुझे कोई चिकित्सकीय बिल की प्रतिपूर्ति मेरे विभाग के द्वारा मुझे नहीं की गयी है ।

15– मैंने दुर्घटना में होने वाले चिकित्सकीय बिल की राशि भुगतान हेतु अपने विभाग में प्रस्तुत किया हूं, परंतु मुझे कोई चिकित्सकीय बिल की राशि प्राप्त नहीं हुयी है ।

16– यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष सही बात नहीं बता रहा हूं और झूठा कथन कर रहा हूं ।

वाचित, सत्य एवं स्वीकृत ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
प्रथम अपर मो०दुर्घ० दावाधिकरण
बस्तर स्थान जगदलपुर

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
प्रथम अपर मो०दुर्घ० दावाधिकरण
बस्तर स्थान जगदलपुर

(साक्षी के हस्ताक्षर)